

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:निस/निदेशक(जन स्वा.)/2011/4

दिनांक: 10-01-2011

:मीटिंग नोटिस:

निम्नांकित लम्बित प्रकरणों की दिनांक 13-14 जनवरी, 2010 को आर.एच.एस.डी.पी. मीटिंग हॉल में समीक्षा की जावेगी :-

- 12वे एवं 13 वें विधान सभा सत्र के लम्बित विधान सभा प्रश्न एवं आश्वासन
- जन लेखा समिति के लम्बित अनुक्षेद
- लम्बित ए.जी. ऑडिट पैराज
- विधान सभा उप समितियों की सिफारिशों की क्रियान्विति

उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. द्वारा दिनांक 13-01-2011 को एवं अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 14-01-2011 को समीक्षा की जावेगी। इस समीक्षा बैठकों में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अपने जिले से सम्बन्धित लम्बित विधान सभा प्रश्नों/आश्वासनों/पीएसी पैराज/एजी पैराज एवं विधान सभा उप समितियों की लम्बित सिफारिशों के जवाब लेकर दिनांक 13.01.2011 को प्रातः 11 बजे निदेशालय स्थित आर.एच.एस.डी.पी. मीटिंग हॉल में आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे, तथा उक्त प्रकरणों की शून्य बकाया स्थिति से अवगत करायेगें।



(बी० एन० शर्मा)


प्रमुख शासन सचिव

चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर ।
2. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एड्स), मुख्यालय ।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय ।
5. सयुक्त निदेशक (योजना)
6. समस्त कार्यक्रम अधिकारी
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजपत्रित अवकाश के दिनों में कार्यालय खुलवा कर उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के जवाब तैयार करवा कर शून्य बकाया स्थिति सहित दिनांक 13-01-2011 को प्रातः 11.00 बजे उक्त समीक्षा बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।

सम्बन्धित



प्रमुख शासन सचिव,

चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण